



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 561 राँची, सोमवार,

2 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

29 अगस्त, 2024

विषय:-बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रखने वाले बाल आरक्षियों को अन्य पदों पर नियुक्त करने के संबंध में ।

पत्रांक संख्या-15/ अनु.नि.-03/2021-5174-पुलिस आदेश संख्या-209/88, पुलिस आदेश संख्या-277/2000 एवं पुलिस आदेश संख्या-48/2011 द्वारा प्रत्येक जिला में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से 03-03 पद को मृत आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए बाल आरक्षी के रूप में रखने हेतु सुरक्षित रखा गया है। इन पदों पर 12-18 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को रखने का प्रावधान है ।

2. बाल आरक्षी का प्रावधान मात्र पुलिसकर्मियों के लिये है, जो पुलिस आदेश संख्या-209/88, पुलिस आदेश संख्या-277/2000 एवं पुलिस आदेश संख्या-48/2011 में निहित प्रावधानों के तहत विशेष परिस्थिति में मृत आरक्षी के बालावस्था में पुत्र/पुत्री को उनकी शिक्षा की व्यवस्था एवं तदुपरान्त उन्हें आरक्षी के पद पर नियुक्त कर जीविकोपार्जन प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है, उक्त पुलिस आदेश में बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति के क्रम में उत्पन्न

होने वाले इस तरह की कठिनाईयों की परिकल्पना नहीं की गयी है कि यदि निर्धारित उम्र के पश्चात् बाल आरक्षी सामान्य आरक्षी पद के निर्धारित शारीरिक योग्यता/माप एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रख पाते हैं तो आश्रित परिवार का भरण-पोषण एवं इन बाल आरक्षियों की नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाय। इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान अथवा निर्देश नहीं होने के कारण मृत सरकारी सेवक के आश्रित एवं बाल आरक्षी के जीविकोपार्जन का आधार अचानक समाप्त हो जाता है एवं उस परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है ।

3. इस संदर्भ में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रखने वाले बाल आरक्षियों को अन्य पदों पर नियुक्त किये जाने के निमित्त निम्न निर्णय लिया गया है:-

(क) झां०स०पु०-06, जमशेदपुर के बाल आरक्षी-236 (ए) सुमन हेमरोम के बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर चिकित्सीय जाँच में Fit with Partial Colour Blindness अंकित किये जाने के कारण इन्हें सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

अतः विशेष परिस्थिति में श्री सुमन हेमरोम को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति किये जाने के निमित्त सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष के अंदर अनुकम्पा हेतु जिला अनुकम्पा समिति को आवेदन समर्पित करने संबंधी प्रावधान को शिथिल करते हुए इनके आवेदन पर विचार किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

(ख) पुलिस आदेश संख्या-209/88, पुलिस आदेश संख्या-277/2000 एवं पुलिस आदेश संख्या-48/2011 द्वारा बाल आरक्षी से आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रावधान में निम्नांकित प्रावधानों को समाहित किया जाता है:-

(i) निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत यदि बच्चे आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक योग्यता / माप एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रखते हों तो इनकी नियुक्ति पुलिस विभाग अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पदों पर की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक/आश्रित के अनुरोध एवं महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिलों/ईकाई/वाहिनी के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला अनुकम्पा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे ।

(ii) जिन मामलों में मृत सरकारी सेवक एवं जिला अनुकम्पा समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का समयावधि 05 (पाँच) वर्षों से अधिक हो गया हो ऐसे मामलों पर समयावधि को विभागाध्यक्ष द्वारा क्षांत किया जा सकेगा, जिसके लिए संबंधित जिलों/ईकाई/वाहिनी के नियुक्ति प्राधिकार महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्रस्ताव विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(iii) यह लाभ तभी दिया जायेगा जब यह सत्यापित हो जाये कि बच्चे आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक योग्यता / माप एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रखते हैं। किसी अन्य परिस्थितियों में यह लाभ देय नहीं होगा ।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया के तहत अनुकम्पा का लाभ प्राप्त होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में संवर्ग अथवा पद परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा ।

4. पुलिस आदेश संख्या-209/88, पुलिस आदेश संख्या-277/2000 एवं पुलिस आदेश संख्या-48/2011 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-07.08.2024 की बैठक के मद संख्या-03 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
